

प्रेषक,

टी० कं० पन्त,
संयुक्त, सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 23 नवम्बर

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 41 (इक्तालीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

होदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यों के रूपरेखा 3118.34 लाख की लागत के आगणनों पर टी.एस.सी. द्वारा परीक्षणोपरांत आगणन राशि रुपये 2585.99 लाख (रुपये पच्चीस करोड़ पचासी लाख निम्नान्वे हजार मात्र) की धनराशि आगणनों की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की जाय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित रें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता का प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय न किया जाय।

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

कमिश्नरी प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग के दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करना।

कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ आवश्यकता अनुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद में व्यय न किया जाय।

आगणन को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा कार्य के प्रयोग में लाया जाय।

सभी सरथाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शा० सं०-452/XXVII(1)/2006 के अन्तर्गत उनके द्वारा समय-2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

Phen Gpy
Attended

ASSISTANT
PW
ब. व. लो. नि. वि.
शुल्क (दि. गं.)

11.

आहरण ।
जायेगा ।

योजनाओं हेतु भूमि का आवेग कर व
प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना को

12. व्यय-उपलब्ध कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के तहत कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश के अन्तर्गत आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी ।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय अनुमानों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता है, कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमानों के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय । स्वीकृत की जा चुकी योजनाओं का उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय । कार्य कराते समय टैंडर विधायक के निर्देशों के अनुसार ठेकेदार बनने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से काय लागत पर प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय ।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा चुकी योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय । इसके उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा करवाये जाय ।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिवर्धन, 04 लि. आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 द्वारा निर्माण किया जायेगा ।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ. 156/XXVIII/23 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।
संलग्नक:- 41 कार्यों की सूची ।

संख्या-3199 (1)/111-2/06, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
3. आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल पौड़ी / नैनीताल ।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
5. मुख्य अभियन्ता रास्-2 लो.नि.वि. पौड़ी/अल्मोडा ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून ।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन ।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड फ़ाइल ।

Photo Copy Attested

ASSISTANT ENGINEER
P.W.D. DEHRADUN
ब. व. ड. ले. नि. वि.
प. व. ड. (दि. ग. ०)